न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 137/2021 तारीख रजू 26.10.20

रामभरत पुत्र सियाराम जाति मीना निवासी सावंलपुर। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार –––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 10/8/21

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 87/2020 मे पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सावंलपुर के आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर अपीलान्ट को पाश्चतवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जबकि अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात पास में स्थित है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया व एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। तथा चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है यदि उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो मवशियों के विचरण करने एवं चारा चरने पर विपरित प्रभाव पडेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट के घर पर मौजूद नहीं मिलने की स्थिति में तामिल कुन्दिा द्वारा नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चश्पा कर नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान शामिल मिसल है तथा अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर मूक पशुओ के विचरण एवं चारा चरने पर कुप्रभाव डाला जो एक प्रतिबंधित भूमि है। मै वकील पैरोकार की बहस से पूर्ण रूपेण सहमत हूॅ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/8/21 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested